



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—वर्ष 3—उप-वर्ष (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्रतिपक्ष के प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, यांत्रिक, जून 20, 1989/ज्येष्ठ 30, 1911

No. 364]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 1989/JYAISTHA 30, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के काम में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 1989

चाय भाण्डागार (अनुशासन) आदेश, 1989

का० आ० 472 (अ):— केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नलिखित आदेश करती है, प्रथम:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय भाण्डागार (अनुशासन) आदेश, 1989 है।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन समाप्त होने पर प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएः— (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से चाय बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, तत्समय अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति भी है;

(ग) "प्ररूप" से इस आदेश से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "अनुशासन" से इस आदेश के अधीन दी गई अनुशासनित अभिप्रेत है;

(इ) "अनुशिष्टारी" अनुशासन का धारक अभिप्रेत है;

(च) "अनुशासन" प्राधिकारी से अध्यक्ष या इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया चाय बोर्ड का कोई अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है;

- (८) "चाय बोर्ड" से अधिनियम की द्वारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है;
- (९) "भाण्डागार" से ऐसा ढका हुआ गैड या गोदाम अभिप्रेत है जिसके फर्श का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से कम माप का न हो और जिसमें चाय का भण्डाकरण अथवा सम्मिश्रण किया जाता हो या चाय को पैक किया जाता हो;
- (अ) "भाण्डागार स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भाण्डागार का स्वामी है या जो किसी भाण्डागार को पट्टे पर लेकर चाय के भण्डाकरण, सम्मिश्रण या पैक करने संबंधी क्रिया-कलाप करता है।

2. उन बढ़ों और पदों के जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. भाण्डागार—स्वामियों का अनुज्ञाप्त अधिग्राप्त करना—कोई भी भाण्डागार स्वामी, अनुज्ञाप्ति के अधीन और इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार सिवाय, चाय के भण्डाकरण, सम्मिश्रण या पैक करने संबंधी क्रिया-कलापों को नहीं करेगा परन्तु यह तब जबकि:—

- (क) इस आदेश के लागू होने का क्षेत्र उन नगरों/कस्बों में होगा जहां सर्वजनिक चाय नीलाम, स्थानीय नीलाम अवस्थायों को अनुवत्त अनुज्ञाप्ति के अधीन चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 1984 के अनुसार नीचे विहित सीमाओं के अन्तर्गत होगा:—

- (1) कलकत्ता—नीलाम हाल से 20 कि० मी० दूरी के अन्तर्गत।
- (2) सिलीगुड़ी—नीलाम हाल से 10 कि० मी० दूरी के अन्तर्गत।
- (3) गुवाहाटी—नीलाम हाल से 15 कि० मी० दूरी के अन्तर्गत।
- (4) कोभीन—नीलाम हाल से 10 कि० मी० दूरी के अन्तर्गत।
- (5) कूनूर—नीलाम हाल से 5 कि० मी० दूरी के अन्तर्गत।
- (6) कोयम्बटोर—नीलाम हाल से 10 कि० मी० दूरी के अन्तर्गत।
- (7) अमृतसर—नीलाम हाल से 10 कि० मी० दूरी के अन्तर्गत।

परन्तु यह और कि अनुज्ञाप्ति प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उस आदेश के लागू होने के पूर्वक भ्रो को उत्तरित करें। यह किसी नये नीलाम केन्द्र के मामले में जो कि

भारत में किसी दूसरे शहर नगर में अनुज्ञाप्ति के अधीन चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1984 के अनुसार स्थापित किया जाए, लागू होने वाले क्षेत्र को विहित कर सकेगा।

(ब) अनुज्ञापन प्राधिकारी चाय के उत्पादन की मात्रा और अनुज्ञापन केन्द्र के भाष्यम से उसके संचालन को विचार में रखते हुए प्रत्येक केन्द्र में अनुज्ञाप्ति किए जाने वाले अधिकतम भण्डार स्थान को भी व्यापार में रख सकेगा।

(ग) उत्तम प्रदृष्टि किसी विधि के अधीन स्थापित किसी पत्तन न्यास प्राधिकारी के स्वामित्व पत्तन वाले पत्तन क्षेत्र में स्थित भाण्डागार की व्यापार किसी अनुज्ञाप्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) अनुज्ञापन प्राधिकारी सङ्क वाहनों को भाण्डागारों को जो थोड़े यात्राकाल के लिए चाय भण्डार करते हैं अनुज्ञापन कार्यक्षेत्र से छूट दे सकेगा।

4. अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन—अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने का प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति प्रारूप "क" में अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी एसी अतिरिक्त सूचना और वस्तावेज मांग सकेगा जो इस संबंध में आवश्यक समझे जाएं।

5. अनुज्ञाप्ति की मंजूरी या इच्छार—(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखि किए जायेंगे, किसी आवेदक को कोई अनुज्ञाप्ति मंजूर करने से इच्छार कर सकेगा और उसे इस प्रकार पारित आदेश को एक प्रति देगा।

(2) जहां अनुज्ञाप्ति के लिए कोई आवेदन उपलब्ध (1) नामंजूर नहीं किया जाता है, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक को प्रारूप "ख" में अनुज्ञाप्ति मंजूर करेगा।

(3) अनुज्ञाप्ति मंजूर/नामंजूर करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी दूसरी शर्तों के अतिरिक्त आवेदक की विसीय स्थिति और आवेदक या उसके स्वतंत्रधारी/निवेशकों के पूर्व अनुभव पर यह सुनिश्चित करते के लिए विचार कर सकेगा कि आवेदक ग्राहकों/चाय व्यवसाय को संतोषजनक सेवाएं देने के योग्य होंगा।

6. अनुज्ञाप्ति की विधि भाव्यता की अवधि—(1) हम आदेश के अधीन जारी अनुज्ञाप्ति जब तक कि पूर्वतः रद्द या निलम्बित न कर दी गई हो, जारी किए जाने की तारीख में तीन बर्षों के लिए विधिमान्य रहेगी और उस एक समय में एक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकेगा।

(2) अनुज्ञाप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के माध्यम से अनुज्ञाप्ति नवीकरण, विमर्श, नवीकरण चाहा गया है, और यह आवेदन है। अनुज्ञाप्ति के जिमरा नवीकरण चाहा गया है, अवसान की तारीख से कम में कम तीन दिन पूर्व किया जाएगा।

(3) खंड 5 या खंड 6 में अनुज्ञित किसी वाल के होने हुए भी इस अनुज्ञित के आदेश के अधीन जारी या नवोकृत अनुज्ञापन प्राधिकारी के निमित्त और उसकी ओर से बोर्ड के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित को जो संकेती है।

7. अनुज्ञित फीस:—अनुज्ञित फीस जारी करने या उसके नवोकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित फीस देनी होगी, अधृति:—

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| अनुज्ञित जारी करने के लिए | 100 रु. |
| अनुज्ञित नवोकरण के लिए    | 200 रु. |

8. अनुज्ञित का मंशोद्धन:—अनुज्ञापन प्राधिकारी अपनी इच्छानुसार या अनुज्ञितधारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर आदेश के अधीन दी गई किसी अनुज्ञित का ऐसी रीति है, जैसा कि अवधारक श्री, अनुज्ञित को अधिनियम के उपलब्धों या इस आदेश के अन्य उपलब्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुरूप बनाने या इस अनुज्ञित में किसी गलती या लोप को परिचोदित करने के लिए संशोधन कर सकेगा।

परन्तु जब अनुज्ञितधारी का अनुज्ञित में संशोधन के लिए आवेदन मंजूर नहीं किया जाता है या जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि प्रस्तावित संशोधन अनुज्ञितधारी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तो इस खंड के अधीन कार्यवाही करने से पूर्व अनुज्ञितधारी को सुने जाने का उचित अवसर दिया जाएगा।

9. अनुज्ञित की हूतरी प्रति—यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का नियमान्वयन हो जाता है कि इस अवेदन के अधीन जारी की गई अनुज्ञित विवरित हो गई है, खो गई है, नष्ट हो गई है या अन्यथा ब्रेकार हो गई है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस निमित्त किए गए आवेदन पर और एक सी रूपये को फीस का संवाद किए जाने पर अनुज्ञित की सूचरी प्रति जारी कर सकेगा।

10. अनुज्ञित की शर्तें:—(1) प्रत्येक अनुज्ञित को अनुज्ञितधारा के नाम में वैयक्तिक रूप से मंजूर या नवोकृत किया गया असम्भा जाएगा और भव अन्तर्जीव नहीं होगा।

(2) जहां कोई अनुज्ञितधारी अपने कारबार का किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय या अन्तरण करना चाहता है, वहां दोनों अनुज्ञितधारी और प्रस्तावित क्रेता या प्रस्तावित अन्तरिक्षों को जैसी भी स्थिति हो अनुज्ञापन प्राधिकारी में पूर्व अनुज्ञा लेनी चाहिए और क्रेता अन्तरिक्षों इस आदेश के उपलब्धों के अनुगार अपने नाम के नशीन अनुज्ञित अभिप्राप्त करेगा।

(3) यदि कार्ड अनुज्ञितधारी अनुज्ञित के अन्तर्गत अपने बाले कारबार के बारे में भागीदारी करता तो है, वह इस स्थिति को रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसी भागीदारी करने के तोस दिन के

मीनर देता और अनुज्ञित का पर्योगित रूप से अंगोद्धित करा लेगा और तदुपरि भागीदार और अनुज्ञित का मूल धारक दाता यथा लंशाधित अनुज्ञित की शर्तें द्वारा आवश्यक होंगे।

(4) यदि भागीदारी विघटित कर दी जाती है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व भागीदार था, उसके तीस दिन के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को विघटन की रिपोर्ट भेजेगा।

(5) प्रत्येक अनुज्ञितधारी चाय बोर्ड के किसी पदधारी द्वारा, जिसे इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्मिलित किया गया हो, मांग किए जाने पर निरोक्षण के लिए अपनी अनुज्ञित प्रस्तुत करेगा।

(6) जहां कार्ड अनुज्ञितधारी अपना कारबार बन्द करना चाहता है वहां वह इस निमित्त अपने आशय को सूचना प्रस्तावित बंद करने के कम से कम एक मास पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा।

(7) भाष्टागार निम्नांकित विनियोगों के अनुरूप होगा:—  
(क) चाय भण्डाकरण के लिए उपयुक्त होगा;  
(ख) दोबारे और छत अधिमानतः ईटों की बनी होंगी और उन पर ठीक डंग से प्लास्टर होंगा या टीन या एस्बेस्टोस की बनी होंगी लेकिन किसी भी अवस्था में दोबारे तथा छत नमरीधी और लकीरों की होनी चाहिए।

(ग) फर्ण पूर्ण रूप से पक्का बना हुआ होगा उस पर ठीक डंग से सीमेंट होगा और वह नमरीधी होगा।

(घ) वह उचित रौप्ति से संवादित होगा और इसके साथ साथ कृतक प्राणियों, लेकिन नाशक जांबों जिहियों और कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित होगा।

(ङ) वहां पर्याप्त प्रकाश अवक्षण होगी और वैधुन आमंजन अच्छां दमा में अनुरक्षित होना चाहिए;

(च) चाय पेटियों के सरलता पूर्वक प्रवेश और निर्गम के लिए पर्याप्त संख्या में नमुचिन नाप के दरवाजे होंगे।

(छ) चाय पेटियों को उतारने/लादने के समय वर्षा में होने वाली नुकसानों से सुरक्षित रक्षने के लिए प्रवेश / निर्गम दरवाजों पर आवृत लोकरोधी फैड होंगे।

(ज) भंडार की गई सामग्री की सुरक्षा के लिए उत्तराजे और विद्युकियों उचित रूप से सुरक्षित होंगे ।

(झ) जश भाण्डागार में भ्रूऽनिगारों के स्वामित्व वाली चाय के अतिरिक्त चाय का भण्डार किया जाएगा वहां चाय ले जाने वाले आहनों को बड़ा करने, परिचालन के लिए पर्याप्त स्थान होगा । उपामन सड़कें उचित रूप से अनुरक्षित होंगी और पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक उपस्कर होंगे ।

(झा) भाण्डागार केवल चाय और चाय के भण्डाकरण, सम्मिश्रण और पैकिंग से संबंधित अन्य सामग्रियों का भण्डार करेगा । कोई भी वस्तु जो कि चाय को व्हालिटी पर प्रतिकूल ब्रह्माद डाले, भाण्डागार में नहीं रखी जाएगी ।

(ट) भाण्डागार के चारों ओर पासंबंदरी क्षेत्र उचित स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाएगा ।

(ठ) जलाक्रांति वाले क्षेत्र में कोई नदा निर्माण नहीं किया जाएगा । विद्यमान भाण्डागार प्रचानक भारी वर्षा के कारण पानी को अंदर आने से रोकने के लिए उचित पूर्व विद्यानी बरतेगा ।

(ड) हाथ से चाय का सम्मिश्रण करने के लिए सगाए गए श्रमिक स्वच्छ पोशाक पहनेंगे और वे संतर्ग रोग से मुक्त होंगे ।

(झ) भाण्डागार में वहां किए जाने वाले कारबार की प्रकृति और भावा के अनुसार पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षण, लिपिकीया, कर्मचारी बृद्ध और कर्मकार होंगे ।

(ण) चाय का भण्डार करने वाला भाण्डागार जो कि अनुज्ञितधारी का न हो निम्न-लिखित रखेगा :—

- (1) पर्याप्त संख्या में निगरानी कर्मचारी ।
- (2) कारबार को उस मात्रा/अनुपात में जो भाण्डागार करने के लिए सक्षम हैं पर्याप्त संख्या में तोलन/मापनी ठीक तोल सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में आने वाले ऐसे तराजूओं को उचित ढंग से रखा जाएगा ।
- (3) चाय पेटियों को कर्ण पर गिराते समय नुकसानी से रोकने के लिए समुचित सामग्री से बनी हुई उस गिरियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(4) चाय पेटियों को इतना कंचा नहीं रखा जाएगा कि उन्हें नुकसानी कारित तथा पेटियों के चिन्हाकान को संरक्षण पूर्वक पहचानने के लिए और कर्मचारियों को सुगमता पूर्वक आने जाने के लिए वो कतारों के लगाव को बीच काफी स्थान छोड़ा जाएगा ।

(5) कार्यालय के लिए, चाय के भण्डाकरण, प्राप्ति परिदान और सटिंग के लिए, दलालों को चाय के नमूने लेने के लिए तथा चाय के सम्मिश्रण और पैकिंग के लिए, जहां कहां भी ऐसे प्रचालन लागू हों, पर्याप्त स्थान होगा ।

8. अनुपालन प्राधिकारी अपना समाधान करेगा कि जिस व्यक्ति के लिए अनुज्ञित भंजूर हुई है, होगी :—

(क) उसके पास चाय का समुचित सम्मिश्रण करने, उसके पैकेज बनाने, उसे भंडार में रखने को सुनिश्चित करने के लिए प्रेक्षित सुविधाएं हैं ।

(ख) वह चाय उद्योग के लिए हानिकारी रीति में कारबार नहीं करेगा ।

9. प्रथेक अनुज्ञितधारी भाण्डागारों में लगाए गए व्यक्तियों द्वारा चाय के उठाई-धराई के सम्बन्ध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय समय पर दिए गए नियमों का पालन करेगा ।

10. अनुज्ञित का निलम्बन या रद्द करण :—(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञित धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इस आधार पर अनुज्ञाति को रद्द या निलंबित कर सकता है कि इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों या इस अनुज्ञाति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन हुआ है ।

(ख) अनुज्ञित को निलंबित या रद्द करने वाला प्रथेक आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें निलम्बन या रद्द करण के लिए कारण विनिर्दिष्ट होंगे और वह ऐसे आदेश के पारित किए जाने के पश्चात् इस दिन के भीतर अनुज्ञितधारी को संसूचित किया जाएगा ।

(ग) जहां कोई अनुज्ञाति इस आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द की जाती है, वहां अनुज्ञाति का धारक, चाय बोर्ड या केन्द्रीय सरकार से ऐसे निलम्बन या रद्द करण के लिए किसी प्रतिकर या अनुज्ञापन फीस के प्रतिवाय का दावा करने के लिए हक्कदार नहीं होगा ।

(घ) यहां उल्लंघ (क) के अधीन अनुज्ञाति निलम्बित की जाती है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी या कोई प्रधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमि

प्राधिकृतचाय बोर्ड का अनुशासन भाण्डागार में प्रवेश कर सकेगा और उसमें चाय के भण्डार करने या उत्पाद को सीलबंद कर सकेगा।

(उ.) वह अनुशासितधारी जिसकी अनुशासित निलम्बन कर दी गई है, मध्यस्थित भाण्डागार में चाय का भण्डारकरण, सम्मिश्रण या पैकेजिंग अनुशासित के निलम्बन अवधि में तुरन्त बन्ध कर देगा।

(च) जहाँ : --

(1) निलम्बन आवेदन प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहाँ उपखण्ड (घ) के अधीन चाय का उत्पाद अनुशासितधारी को बापस दे दिया जाएगा।

(2) अनुशासित रह कर दी गई है, चाय का भण्डार /चाय उत्पाद भाण्डागार स्वामी को यह सलाह देते हुए बापस कर दिया जाएगा कि वह अनुशासन प्राधिकारी द्वारा इस निमित निर्धारित निमते के भीतर भाण्डागार को छाली कर दे।

12. अपील-खण्ड 5(1) या खण्ड 22 के अधीन अनुशासन प्राधिकारी के किसी आवेदन से व्यवित, कोई अविक्ति, उसके द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आवेदन की पुष्टि कर सकेगी, और उसे उलट सकेगी या उपालंबित कर सकेगी।

13. लेखाओं का रखा जाना, आदि -- (1) अनुशासन प्राधिकारी किसी अनुशासितधारी को निदेश जारी कर सकती है वह : --

(क) भाण्डागार द्वारा किए गए कारबाहर की मात्रा का ऐसा अधिलेख रखे।

(ख) अनुशासन प्राधिकारी के विवरणिया या विवरण ऐसे प्ररूप में और अपने कारबाहर से संबंधित ऐसी जानकारी सहित और ऐसे समय के भीतर जो निवेश में विनियोग किया जाए, प्रस्तुत करें;

(ग) चाय बोर्ड के ऐसे प्रधिकारी को, जो अनुशासन प्राधिकारी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया जाए, अपने कारबाहर से संबंधित ऐसी लेखा बहियाँ और अधिलेख, जो निवेश में विनियोग किए जाएं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

(1) उपखण्ड (1) में नियिक प्रक्रिया का कोई निवेश साधारणतः यह हो सभी अनुशासितधारियों को अधिका जाय की उत्पाद का अभिग्रहण करता है और उसे भाण्डागार के स्वामी की सुविधित प्रभिकारा में इसने का विनियोग करता है वहाँ ऐसा प्रधिकारी या प्रधिकारी भण्डार का सील बंद

14. आदेशों और निवेशों की तारीख : --अनुशासन प्राधिकारी द्वारा या इस आदेश के अधीन किसी प्रत्ये प्राधिकारी द्वारा किया गया या जारी किया गया कोई आदेश या निवेश : --

(क) सामान्यतः अनुशासितधारियों को या किसी वर्ग या प्रवर्ग के अनुशासितधारियों को किसी आदेश या निवेश की दशा में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ;

(ख) किसी विशेष अनुशासितधारी को किसी आदेश या निवेश की दशा में उसका ऐसे अनुशासितधारी पर : --

(1) उस अनुशासितधारी को उसका परिदान या निविदान करके तारीख की जाएगी, या

(2) जहाँ उसका इस प्रकार परिदान या निविदान न किया जा सकता हो, वहाँ उस परिसर के जिसमें वह अनुशासितधारी रहता है या कारबाहर करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, वहाँ द्वारा पर या किसी अन्य भुद्धय भाग पर उसे चिपका कर तामील की जाएगी और उसकी एक निविद रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों द्वारा उसे साक्षित किया जाएगा।

15. प्रविष्टि, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति : --

(1) अनुशासन प्राधिकारी या उसके द्वारा लिखित रूप में इस निमित विशेष रूप से प्राधिकृत चाय बोर्ड का कोई प्रधिकारी आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोगन के लिए किसी भी भाण्डागार में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और किसी ऐसी चाय या चाय के ऐसे उत्पाद का, जिसका भण्डारकरण, सम्मिश्रण या पैक किया जाना इस आदेश के उल्लंघन में किया गया प्रतीत होता है, अभिग्रहण कर सकेगा।

(2) इस छंड के अधीन कार्यवाही करने वाला कोई प्रधिकारी ऐसी कार्यवाही करने के चौबीस घंटों के भीतर अनुशासन प्रधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के उपर्युक्त, जहाँ तक हो सके, उस आदेश के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।

(4) जहाँ अनुशासन प्राधिकारी या चाय बोर्ड का कोई प्रधिकारी उपखण्ड (1) के अधीन चाय/चाय की उत्पाद का अभिग्रहण करता है और उसे भाण्डागार के स्वामी की सुविधित प्रभिकारा में इसने का विनियोग करता है वहाँ ऐसा प्रधिकारी या प्रधिकारी भण्डार का सील बंद

करने के बाद प्रकृत्य "ग" इस आशय का आवेदन करेगा और उसको स्वामी पर नामील करेगा और स्वामी तो आवेदन का प्रत्यालन करेगा।

16. अनुज्ञाप्ति की शर्तों का भंग इस आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा यदि कोई अनुज्ञाप्तिधारी अनुज्ञाप्ति के नियमों और शर्तों को भंग करता है तो उसकी आवत यह समझा जाएगा कि उसने आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

17. निरसन और व्यावृत्ति:—चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन आदेश 1980) निरसित किया जाना है:

परन्तु उपर्युक्त आदेश के प्रधीन जारी किए गए आदेश या की नई कार्यवाही की आवत यह समझा जाएगा कि वह इस आदेश के तत्स्थानी उपबंधों के प्रधीन किया गया आदेश या कार्यवाही है।

प्रकृत्य "क"

खण्ड 4 वेत्तिए

चाय भाण्डागार अनुज्ञापन आदेश, 1980 के खण्ड 3 के अनुग्रहित के लिए आदेश

मेहमां में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,  
चाय बोर्ड,  
14 बी टी एच सारणी (भ्रोन्ट रोड)  
कलकत्ता-1

महाराष्ट्र,

मैं/हम चाय के भण्डारकरण/सम्मिश्रण/पैकेजिंग सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञाप्ति हेतु आवेदन करता हूँ/ करते हैं।

मैं/हम आवश्यक विवरण नीचे देता हूँ/देते हैं:—

(1) आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में): \_\_\_\_\_

(2) पूरा पता (जित पर पत्र अवहार किया जा सके): \_\_\_\_\_

(3) उम भाण्डागार का पूरा पता जहाँ आवेदक भण्डारकरण/सम्मिश्रण/पैकेजिंग करता चाहता है: \_\_\_\_\_

(4) भाण्डागार का तल अंक: (नाप का एक नक्शा संलग्न है) \_\_\_\_\_

(5) भाण्डागार स्वामी भाण्डागार अपने ही लेखे पर या स्वामी से पट्टे पर या अनुज्ञापनधारण करता है: \_\_\_\_\_

(6) भाण्डागार में किए जाने वाले कारबार की प्रकृति (भोड़ारकरण/सम्मिश्रण/पैक करना आदि): \_\_\_\_\_

(7) ऊपर (6) में अधिकाधित कार्य उसके सेखे किए जाते हैं या अन्य व्यक्तियों की ओर से किए जाते हैं और यदि हाँ, तो मालिक (मालिकों) का (के) नाम और पता (पते): \_\_\_\_\_

(8) मंदस फीस की रकम: \_\_\_\_\_

2. मैंने/हमने चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1980 ध्यान पूर्वक पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उक्त आदेश के उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

प्रबोध  
आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

स्वामी:

तारीख:

(जो चागू न हो उस काट दें)

टिप्पणी:—कम्पनी के मामले में आवेदक निदेशक या सचिव या कमानी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा; भागीदार कर्म के माध्यमे में एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित होगा, वैयक्तिक मामले में हस्ताक्षर के ग्रन्ति एक मात्र स्वतंत्रारी शब्द जोड़े जाएंगे।

प्रस्तुति “त्वं”  
[खण्ड 5 देखिए]

चाय के भण्डारकरण/सम्मिश्रण/पैकेज बनाने सम्बन्धी किया कलापों के लिए अनुमति।  
(अनन्तरणीय)

चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश 1989 के खण्ड 5 (2) के अधीन जारी की गई।

14 ब्रेबोैं रोड़,  
(बी टी एस स.रणी)  
कलकत्ता-1  
स.रोड़  
अनुमति मं.

श्री/भवेश्वी/को चाय भण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 के निबन्धनों के अनुसार, अनुप्रिविधारी के रूप में चाय के भण्डारकरण/सम्मिश्रण/पैकेज बनाने का कारनाम करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह अनुमति तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, जब तक कि चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश 1989 के खण्ड II के अधीन उन तारीख में पूर्व रह या निलम्बित न कर दो जाए, विधिमान्य है।

यह अनुमति भाण्डागार और नीचे दिए गए स्थान के लिए विधिमान्य है:—

भाण्डागार का पता

तल का क्षेत्रफल

अधिकारी  
चाय बोर्ड  
अनुज्ञापन प्राधिकारी

(\*नो नाम न हो उसे काट दें)

प्रस्तुति “ग

[खण्ड 14 (4) देखिए]

चाय बोर्ड

मूले यह प्रतीत है कि आपने परिमन मं. —————— चाय के भण्डारकरण/सम्मिश्रण/पैकेज बनाने के क्रियाकलापों में चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश 1989 के खण्ड —————— का उत्पादन किया है।

अतः अब, मैं चाय/या उत्पाद का अभिगृहण करता हूं और आपको निदेश देना है कि आप नगमग —————— किलो/पिटियाँ/थैलों के उक्त सील बंद भंडार को गेसे आदेश के अध्यधीन रहने हुए जो कि नत्यशब्दात उसके बारे में विषय में जारी किया जाए अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखें। बोर्ड अभिगृहीत चाय की बाबत जो आपको सुरक्षित अभिरक्षा के लिए दो गई है भाड़े के लिए किसी दावे या किसी अन्य प्रकार या किसी हानी के लिए दायी नहीं होगा।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

पद

साक्षी :

|        |     |           |
|--------|-----|-----------|
| 1. नाम | पता | हस्ताक्षर |
| 2. नाम | पता | हस्ताक्षर |
| 3. नाम | पता | हस्ताक्षर |

उपर्युक्त का मौलिक प्राप्त हुआ और मैं उसके अन्तर्वस्तु को पढ़ लिया और उसका पालन करने के लिए सहमत हूं।

[फाईल नं. के.-11012(2)/80 बागान-ए]

श्री.एस. बेकटरायण, अपर मंचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

## ORDER

New Delhi, the 20th June, 1989

The Tea Warehouses (Licensing)

Order, 1989

S.O. 472(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989.

(2) It shall come into force on the expiry of ninety days of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In this Order, unless the context otherwise requires :—

- (a) “Act” means the Tea Act, 1953 (29 of 1953); .
- (b) “Chairman” means the Chairman of the Tea Board and includes any person exercising, for the time being, the powers of the Chairman;
- (c) “Form” means a form appended to this Order;
- (d) “Licence” means a licence granted under this Order;
- (e) “Licensee” means a licence holder of a licence;
- (f) “Licensing Authority” means the Chairman or any other Officer of the Tea Board so authorised by the Central Government in this behalf;
- (g) “Tea Board” means the Tea Board established under section 4 of the Act;
- (h) “Warehouse” means a covered shed or godown having a floor area measuring not less than 200 square metres wherein storing, blending or packaging of tea is done;
- (i) “Warehouse owner” means a person who owns a warehouse or who carries on the activities of storing, blending or

packaging of tea by taking lease of a warehouse.

(2) All the words and expressions used in this order and not defined but defined in the Tea Act, 1953 (29 of 1953), shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

3. **Warehouse owners to obtain licence.**—(1) No warehouse owner shall carry on the activities of storing, blending or packaging of tea except under a licence and in accordance with the provisions of this Order:

Provided that,—

(a) The area of applicability of this Order in the cities/towns where public tea auctions are held under licence granted to the local Auction Organisers as per Tea (Marketing) Control Order, 1984, shall be within the limits as prescribed below :—

- (i) Calcutta—Within a distance of 20 Km. of the Auction Hall.
- (ii) Siliguri—Within a distance of 10 Km. of the Auction Hall.
- (iii) Guwahati—Within a distance of 15 Km. of the Auction Hall.
- (iv) Cochin—Within a distance of 10 Km. of the Auction Hall.
- (v) Coonoor—Within a distance of 05 Km. of the Auction Hall.
- (vi) Coimbatore—Within a distance of 10 Km. the Auction Hall.
- (vii) Amritsar—Within a distance of 10 Km. of the Auction Hall.

Provided further the Licensing Authority may, with the prior approval of the Central Government, modify the aforesaid area of applicability of this Order or prescribe area of applicability under the Order in the case of any new auction centre that may be set up in any other city/town in India under the licence as per Tea (Marketing) Control Order, 1984;

- (b) The Licensing Authority may also keep in view the optimum warehouse space to be licensed in each centre considering the volume of production of tea and its movement through the licensing centre;

(c) No licence shall be required in respect of warehouses located inside the Port area owned by any Port Trust Authority established under any law for the time being in force;

(d) The Licensing Authority may also exempt the warehouses of road carriers storing teas for a short transit period from the purview of licensing.

4. Application for Licence.—Every person desiring to obtain a licence shall make an application to the Licensing Authority in Form 'A'. The Licensing Authority may call for additional information and documents which may be considered necessary in this regard.

5. Grant or refusal of licence.—(1) The Licensing Authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant a licence to any applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed.

(2) Where an application for licence is not refused under sub-clause (1), the Licensing Authority shall grant the applicant a licence in Form 'B'.

(3) While granting/refusing licence, the Licensing Authority may consider, besides other conditions, the financial worth of the applicant and the past experience of the applicant or its proprietor/partners/directors to ensure that the applicant will be able to render satisfactory services to its clients/tea trade.

6. Period of validity of licence.—(1) A licence issued under this Order, unless cancelled or suspended earlier, shall remain valid for a period of three years from the date of its issue and may be renewed for a further period of one year at a time.

(2) Every application for renewal of a licence shall be accompanied by the licence which is sought to be renewed and shall be made not less than thirty days before the date of expiry of the licence which is sought to be renewed.

(3) Notwithstanding anything contained in clause 5 or clause 6, any licence issued or renewed under this Order may be signed by the Secretary to the Tea Board for and on behalf of the Licensing Authority.

7. Fees for Licence.—Every application for the issue of a licence or renewal thereof shall be accompanied by the following fees, namely :—

for the issue of a licence—Rs. 1000/-  
for renewal of a licence—Rs. 200/-

8. Amendment of Licence.—The Licensing Authority may, of its own accord or an application by the licensee, amend any licence granted under this Order in such manner as may be necessary to make such licence conform to the provisions of the Act or other provisions of this Order or any other law for the time being in force or to rectify any errors or omissions in the licence :

Provided that when an application by the licensee for amendment of the licence is not granted or where the Licensing Authority is of opinion that the proposed amendment will be prejudicial to the interest of the licensee, the licensee shall be given reasonable opportunity of being heard before action under this clause is taken.

9. Duplicate licence.—If the Licensing Authority is satisfied that licence issued under this Order is defaced, lost, destroyed or otherwise rendered useless, the Licensing Authority may, on application made in that behalf and on payment of a rupees one hundred issue a duplicate licence.

10. Conditions of licence.—(1) Every licence shall be deemed to have been granted or renewed personally in favour of the licensee and shall not be transferable.

(2) Where a licensee intends to sell or transfer his business to another person, both the licensee and the proposed purchaser or the proposed transferee, as the case may be, must obtain prior permission of the Licensing Authority and the purchaser/transferee shall obtain fresh licence in his favour in accordance with the provisions of this Order.

(3) If a licensee enters into a partnership in regard to the business covered by his licence, he shall report the fact to the licensing authority within thirty days of his entering into such partnership and shall get the licence suitably amended and thereupon the partner as well as the original holder of the licence shall be bound by the conditions of the licence as amended.

(4) If a partnership is dissolved, every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report of the dissolution to the licensing authority within thirty days thereof.

(5) Every licensee shall produce his licence for inspection on demand by an official of the Tea Board duly authorised by the Licensing Authority in this behalf.

(6) Where any licensee intends to close his business, he shall intimate his intention in this behalf to the Licensing Authority at least one month in advance of the proposed closure.

(7) The warehouse shall conform to the following specifications:—

- (a) Shall be fit for tea storage;
- (b) The walls and the roof may preferably be made of bricks and well plastered, or be made of tins or asbestos, but in any case the walls and roof must be damp-proof and leak-proof;
- (c) The floor shall be of pucca construction, properly cemented and damp-proof;
- (d) It shall be properly ventilated, but at the same time protected against posts, rodents, birds and insects;
- (e) There shall be adequate lighting arrangements and electrical fittings should be maintained in good condition;
- (f) There shall be adequate number of gates of appropriate size for easy ingress and egress of tea chests;
- (g) The entry/exit gates shall have leakproof covered sheds to protect against rain damage at the time of loading/unloading of tea chests;
- (h) The doors and windows shall be properly secured for the safety of the stored goods;
- (i) Where the warehouse will store teas other than owned by the licensee, there shall be adequate space for parking/manoeuvring of the vehicles carrying teas. The approach roads shall be properly maintained and shall have adequate number of fire-fighting equipments;

(j) The warehouse shall store only tea and other materials connected with the storage, blending and packaging of tea. Anything which may adversely affect the quality of tea shall not be kept in the warehouse;

(k) The hygienic condition of the surrounding area adjoining the warehouse shall be properly maintained;

(l) No new construction shall be undertaken in an area prone to waterlogging. The existing warehouses shall take proper precaution against entry of water due to sudden heavy rainfall;

(m) The workers engaged for manual blending of tea shall wear clean dresses and shall not have contagious disease.

(n) The warehouse must have adequate number of supervisory, clerical staff and workers depending upon the nature of business carried out therein and commensurate with the volume of business handled.

(o) The warehouse storing teas not belonging to the licensee shall have the following:—

- (i) Adequate number of watch-and-ward staff;
- (ii) Adequate number of weighing scales proportionate to the volume of business which the warehouse is capable of handling. Such scales in operation shall be maintained properly to ensure correct reading of weights;

(iii) Shall use dumping pads made out of appropriate materials to avoid damage of tea chests while dropping on the floor;

(iv) Shall not stock too high which may cause damage to the chests and leave enough space between two rows of stacking for smooth movement of workers and easy identification of chest markings;

(v) There shall be adequate space for office, for receiving, delivery and sorting of teas, for the brokers to draw samples and for blending/

packaging of tea, wherever such operations are applicable.

(8) The Licensing Authority shall satisfy himself that the person in whose favour the licence is to be/has been granted :—

- (a) has the required facilities for ensuring proper blending, packaging or storage of tea; and
- (b) shall not carry on the business in a manner detrimental to the tea industry.

(9) Every licensee shall comply with the directions given by the Licensing Authority from time to time regarding the handling of tea by the persons engaged in the warehouses.

11. Suspension or cancellation of licence.—(a) the Licensing Authority may, after giving the holder of a licence an opportunity of being heard, cancel or suspend the licence on the ground that any of the provisions of this Order or any conditions of the Licence have been contravened;

(b) Every order suspending or cancelling a licence shall be in writing and shall specify the reasons for such suspension or cancellation and shall be communicated to the licensee within fifteen days of the passing of such order;

(c) Where a licence is suspended or cancelled under this Order, the holder of a licence shall not be entitled to claim from the Tea Board or the Central Government any compensation or refund of licence fee for such suspension or cancellation;

(d) Where a licence is suspended under sub-clause (a), the Licensing Authority or any officer of the Tea Board authorised in this behalf by the Licensing Authority may enter the licensed warehouse and seal the stocks of tea or tea product stored therein;

(e) A licensee whose licence has been suspended shall forthwith stop the activities of storing blending or packaging of tea in the concerned warehouse during the period of suspension of the licence.

(f) Where,—

(i) the order of suspension is revoked, the stocks of tea/products sealed under sub-clause (d) shall be restored to the licensee; or,

(ii) the licence has been cancelled, the sealed stocks of tea/tea products shall be restored to the warehouse owner with advice to clear the warehouse of the said stocks within such period as may be fixed in this behalf by the Licensing Authority.

12. Appeal.—Any person aggrieved by an Order of the Licensing Authority under clause 5(1) or clause 11 may, within a period of two months from the date of receipt by him of the order, prefer an appeal to the Central Government and the Central Government may, after making such inquiry as it thinks fit and after giving the applicant an opportunity of being heard, confirm, reverse or modify the order.

13. Maintenance of accounts etc.—(i) The Licensing Authority may issue directions to any licensee,—

- (a) to maintain such records of the volume of business carried on by the warehouse;
- (b) to submit to the Licensing Authority the returns or statements in such form and containing such information relating to his business and within such time as may be specified in the direction;
- (c) to produce for inspection to such officer of the Tea Board as may be authorised in this behalf by the Licensing Authority such books of accounts and records relating to his business as may be specified in the direction.

(ii) Any direction of the nature referred to in sub-clause (i) may be issued either generally to all licensees or to any class or category of licensees as the circumstances may require.

14. Service of orders and directions.—Any order or direction made or issued by the Licensing Authority or by any authority under this Order shall,—

- (a) in the case of an order or direction to the licencees in general or to a class or category of licensees be notified in the Official Gazette, and
- (b) in the case of an order or direction to a particular licensee, be served on such licensee :—
  - (i) by delivering or tendering it to that licensee, or

(ii) where it cannot be so delivered or tendered, by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that licensee lives, or carries on business, or personally works for gain and a written report thereof shall be prepared and witnessed by two persons living in the neighbourhood.

15. Power of entry, search and seizure.—(i) Licensing Authority or any officer, of the Tea Board specially authorised by it in writing in this behalf may enter and search any warehouse for the purpose of ensuring compliance with the provisions of the Order and may seize any tea or product of tea which appears to be stored, blended or packaged in contravention of the provisions of this Order.

(ii) Any officer taking action under this clause shall submit a report to the Licensing Authority within twenty four hours of taking such action.

(iii) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to searches

and seizures, shall, so far as may be, apply to every search or seizure made under this order.

(iv) Where the Licensing Authority or any officer of the Tea Board seizes any tea or product of tea under sub-clause (i) and decides to keep the same in safe custody of the owner of the warehouse, such authority or officer shall, after sealing the stock, make an order to that effect in form 'C' and serve the same on the owner and the owner shall comply with such order.

16. Breach of conditions of licence to be deemed contravention of this Order.—If any licensee commits any breach of any of the terms and conditions of the licence he shall be deemed to have contravened the provisions of Order.

17. Repeal and Saving.—Tea Warehouses (Licensing) Order, 1980 is hereby repealed:

Provided that any order issued or any action taken under the above order, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

#### FORM 'A'

(See Clause 4)

#### Application for licence under Clause 3 of the Tea Warehouse (Licensing) Order, 1989.

To

The Licensing Authority,  
Tea Board,  
14, B.T.M. Sarani (Brabourne Road),  
Calcutta-1.

Sir,

I/We\* apply for licence for carrying on the activities of storing/blending/packaging of tea.

I/We\* furnish the necessary particulars below:—

(1) Name of the Applicant (in block letters) :

(2) Full address (to which correspondence should be sent) :

(3) Full address of the warehouse where the applicant intends to do storing/blending/packaging of tea :

(4) Floor area of the warehouse

(a map to the scale to be enclosed)

(5) Whether the warehouse owner holds the warehouse on his own account or on lease or on permission from the owner:

(6) Nature of business (storing/blending/packaging etc.) to be carried out in the warehouse:

(7) Whether the operations stated at (6) above are carried out on his own account or on behalf of other person, and if so, furnish the names and address of the Principal(s):

(8) Amount of fees paid:

2. I/We\* have carefully read and understood the Tea Warehouse (Licensing) Order, 1989, and hereby agree to abide by the provisions of the said Order.

Your faithfully,

[Signature of the applicants(s)]

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

(\*score out the word not applicable)

Note : The application should be signed in the case of a company by a Director or the Secretary or an authorised agent of the company; in the case of a partnership firm by one of the partners; and in the case of an individual the words 'Sole Proprietor' shall be appended after the signature.

### FORM 'B'

(See Clause 5)

### TEA BOARD

License for carrying on the activities of Storing/Blending/Packaging of Tea.  
(Not Transferable)

Issued under clause 5(2) of the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989.

14, Barbourne Road,  
(B.T.M. Sarani),  
Calcutta-1

Dated \_\_\_\_\_

License No. \_\_\_\_\_

Shri/Sarvashri\* \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
is/are\* hereby authorised to carry on the business of storing/blending/packaging of tea as a Licensee in terms  
of the Tea Warehouse (Licensing) Order, 1989.

This licence is valid upto and including \_\_\_\_\_, 19\_\_\_\_\_  
unless cancelled or suspended before that date under clause 11 of the Tea Warehouses (Licensing) Order,  
1989.

This licence is valid for the Warehouse and space mention below :-

Warehouse Address

Floor area

Chairman,  
Tea Board,  
Licensing Authority.

(\*score out the words not applicable)

FORM 'C'  
[See Clause 14 (iv)]

TEA BOARD

Whereas it appears to me that you have been in contravention of clause \_\_\_\_\_ of the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989, carrying on the activities of storing/blending/packaging of tea in premises No.....

Now, therefore, I seize the tea/tea product and hereby direct you to keep in your safe custody the said scaled stock of about \_\_\_\_\_ Kilos/chests/bags subject to such order as may subsequently be issued in relation thereto. The Board do not hold themselves liable for any claim for rent or any other charges or for any loss you may sustain for the tea seized and handed over to you for safe custody.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Witness

1. \_\_\_\_\_

(Name)

(Address)

(Signature)

2. \_\_\_\_\_

(Name)

(Address)

(Signature)

Received the original of the above, I have read the contents and agree to abide by it.

[File No. K-11012(2)/80-Plant. A]  
V.S. VENKATARAMAN, Addl. Secy.